न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, सह विशेष न्यायाधीश, बिहारशरीफ, नालन्दा।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 375/2026

गौरीशंकर कुमार एवं 01 अन्य बनाम बिहार सरकार

गिरियक थाना कांड संख्या 148/2025

अंतर्गत धारा 281, 125(a), 125(b), 303(2), 132, 318(4), 324(4), 61(2), 3(5) B.N.S

15.04.2026

अभियुक्त **01. गौरीशंकर कुमार एवं 02. जितेन्द्र कुमार** की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पर बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता श्री वरूण कुमार तथा विद्वान लोक अभियोजक श्री अनुज कुमार का तर्कपूर्ण बहस सुना ।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदकगण निर्दोष है, उन्हे गांव की गंदी राजनीति के तहत झूठे व गलत आधार पर इस वाद में फंसा दिया गया है । आवेदकगण की ओर से इस जमानत आवेदन के अलावा और कोई जमानत आवेदन इस न्यायालय या कोई वरीय न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदकगण ट्रेक्टर बीआर21जीबी–4569 एवं ट्रेलर बीआर21जीबी–5516 के मालिक है, लेकिन घटना के दिन इसे मौके से जप्त नहीं किया गया है। आवेदकगण के विरूद्ध उक्त धाराओं का अभियोग बनता प्रतीत नहीं होता है। आवेदकगण पर हमला करने का कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं है। आवेदकगण घटना के दिन घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे। आवेदकगण के नाम का खुलासा स्थानीय चौकीदार के द्वारा किया गया है। इस वाद के सह–अभियुक्तों को नियमित जमानत आवेदन सं0 1331/25 एवं 1344/25 के माध्यम से पूर्व में इस न्यायालय द्वारा जमानत का लाभ प्रदान किया गया है। आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदकगण को पुलिस द्वारा गिरफतार किए जाने की संभावना है। अतः इन्हें अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान किया जाय ।

विद्वान लोक अभियोजक आवेदकगण के उक्त जमानत आवेदन का विरोध करते हैं तथा यह स्वीकार करते है इस वाद के सह–अभियुक्तों को पूर्व में जमानत का लाभ प्रदान किया गया है।

सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है कि दिनांक 13.04.2025 को समय करीब 08:40 बजे गुप्त सूचना के आधार पर वह पुलिस पार्टी के साथ ग्राम घोड़ा कटोरा में पंचाने नदी के पास एक लाल रंग का ट्रेक्टर एवं उससे जुड़े लाल रंग के डाला जिस पर रजि0 नं0 अंकित नहीं था, अवैद्य बालू का खनन कर परिवहन हेतु उठाव किया जा रहा था। पुलिस पार्टी को देखते ही डाला पर लदे बालू को दो व्यक्ति गिराने लगा एवं दोनों मिलकर गाड़ी को तेजी से लेकर भागने लगा। पीछा करने के क्रम में उक्त ट्रैक्टर का चालक के द्वारा रास्ते में पुलिस वाहन को धक्का मारने का प्रयास किया गया तथा तेजी व लापरवाही से चलाते हुए कई व्यक्तियों को रौंदने का प्रयास भी किया। साथ गए चौकीदार से पूछने पर पता चला कि वह सुबोध कुमार उर्फ

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, सह विशेष न्यायाधीश, बिहारशरीफ, नालन्दा।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 375/2026

गौरीशंकर कुमार एवं 01 अन्य बनाम बिहार सरकार

गिरियक थाना कांड संख्या 148/2025

अंतर्गत धारा 281, 125(a), 125(b), 303(2), 132, 318(4), 324(4), 61(2), 3(5) B.N.S

लगातार

15.04.2026

गेनहारी एवं अनंजय उर्फ कारू कुमार उर्फ मैडवा है। इन दोनों के द्वारा पुलिस बल पर जानलेवा हमला, सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न किया गया था। जिसमें अंजय कुमार के विरूद्ध आरोप–पत्र समर्पित किया गया है।

अभिलेख एवं कांड दैनिकी के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदकण प्राथमिकी के नामजद अभियुक्तगण नहीं है। इन दोनों का नाम इस वाद में अनुसंधान के क्रम में प्रयुक्त बिना नंबर वाले ट्रैक्टर एवं डाला के मालिक होने के आधार पर आया है। यह भी विदित होता है कि इस वाद के मुख्य अभियुक्त जिन पर बिना नंबर के ट्रैक्टर व डाला पर अनाधिकृत रूप से बालू उठाव करने एवं भागने के समय में पुलिस वाहन को धक्का मारने का प्रयास करने का आरोप था उनको जमानत का लाभ प्रदान किया जा चुका है। आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है ।

अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर पूर्ण विचार करते हुए आवेदकगण को आदेश पारित होने के एक माह के अंदर, विचारण न्यायालय में आत्मसमर्पण करने या पुलिस द्वारा अभिरक्षा में लिये जाने पर, संबंधित विचारण न्यायालय के संतुष्टि पर, बी0एन0एस0एस0, 2023 की धारा 482 में उल्लेखित शर्तों के अधीन, आवेदकगण **01. गौरीशंकर कुमार एवं 02. जितेन्द्र कुमार** को 10,000/– रु0 के जमानत तथा उसी राशि के समतुल्य दो प्रतिभूओं वाले बंधपत्र निष्पादित करने के उपरांत जमानत पर मुक्त किये जाने का आदेश प्रदान किया जाता है ।

(लेखापित एवं संशोधित)

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम
सह विशेष न्यायाधीश
नालन्दा, बिहारशरीफ।